

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के
नियम -17(क) को देखें

ई0मेल- deo.almora.dir@gmail.com

दूरभाष: 05962234796

फैक्स: 05962234796

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 10002

दिनांक 23-01-2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल जाखनदेवी

जिला-अल्मोड़ा।

विषय-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की
धारा 19(2) के प्रायोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का
अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम -17(क) के
अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को
पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने
विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2020 के साथ संलग्न
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा निर्गत मान्यता प्रमाण पत्र संख्या
CBSE/AFF/3530409/SS-01118-1819/2018-19 दिनांक 04.09.2018 के क्रम में आपके
विद्यालय, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल जाखनदेवी विकासखण्ड-हवालबाग अल्मोड़ा को
अधिनियम की धारा- 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं
मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद अल्मोड़ा में आपके
विद्यालय के पंजीकरण की संख्या Hawalbag 96 हैं। भविष्य में यदि अधिनियम की
अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उलंघन दृष्टिगोचर होता है, तो उत्तराखण्ड
शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/
अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा।